पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 14, अंक 4/2013

उपभोक्ता अधिकारों के अन्तर्गत एक बड़ा मुद्दा है जैविक खेती का प्रचार-प्रसार

आज के दौर में आधुनिक कृषि से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समय आ गया है कि हमें सतत् कृषि की ओर बढ़ना होगा, जिससे हम प्राकृतिक स्त्रोतों का उपयोग ले सकें। हमें फिर से जैविक खेती का प्रचार-प्रसार कर इसके प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी।

यह विचार जी.जी.मेमन, मुख्य महाप्रबन्धक,जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय,'नाबार्ड' ने 24 दिसम्बर को जयपुर में कट्स द्वारा जैविक उपभोग को बढ़ावा देने हेतु आयोजित'प्रो-ओर्गेनिक'परियोजना के औपचारिक शुभारम्भ पर मुख्य अतिथि के तौर पर व्यक्त किए।

उन्होंने बताया कि आधुनिक कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। मद्देनजर जैविक खेती का सीधा संबंध उपभोक्ता सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने परियोजना के संचालन में 'नाबार्ड' की ओर से आवश्यक सहयोग देने का भी वादा किया।

इससे पूर्व जॉर्ज चेरियन, निदेशक 'कट्स' ने अपने परिचयात्मक उद्बोधन में बताया कि सतत् उपभोग जो कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का ही हिस्सा है, को संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों में मान्यता दी गई है। उपभोक्ता को जहां सुरक्षित भोजन का अधिकार है वहीं उसे सतत् कृषि की भी आवश्यकता है, जिससे वह अपने लिए सुरक्षित भोजन की व्यवस्था कर सके। इन्हीं दो मुद्दों के इर्दगिर्द पूरी परियोजना का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद खाद्यान्न की कमी से गुजर रहा है क्योंकि, कृषि आधारित गतिविधियां देश में धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं।

परियोजना समन्वयक अमरजीत सिंह ने परियोजना का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि राजस्थान के छह जिलों जयपुर, दौसा, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व उदयपुर के कुल 102 ग्राम पंचायतों में यह परियोजना चलाई जाएगी। इन जिलों में क्षेत्र की वस्तुस्थिति के अध्ययन हेतु शोध करना, किसानों के लिए उन्मुखीकरण भ्रमण एवं जागरूकता अभियान आयोजित करना, प्रत्येक जिले में एक परामर्श बैठक करना, लाभार्थी व हितधारकों से प्रतिक्रिया लेना, वार्षिक परामर्श और फीडबैक बैठक करना एवं जागरूकता हेतु संदर्भ सामग्री तैयार करना आदि गतिविधियां संचालित की जाएगी।

कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अतिरिक्त निदेशक शीतल शर्मा ने कहा कि जैविक खेती एक सुव्यवस्थित तरीके से की जाए तो इससे सतत खेती को बढ़ावा मिलेगा। इसमें मिट्टी की शक्ति व पोषक तत्व होंगे तो जैविक खेती से उत्पादन बढ़ेगा। इस अवसर पर मोरारका फाउण्डेशन जयपुर के महा प्रबन्धक वर्धमान बापना, दुर्गापुरा कृषि फार्म के कृषि वैज्ञानिक ए.के.गुप्ता तथा साग-सब्जी विभाग के अधिकारी बी.डी.यादव ने जैविक खेती की उपयोगिता व महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित ने भी अपनी उपस्थिति दी।

कार्यक्रम में परियोजना के छह जिलों के जिला पार्टनर, कृषकों, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण किसान क्लब के सदस्य, स्वयंसेवी संगठन एवं जैविक उत्पादक विक्रेता व मीडिया के प्रतिनिधि सहित करीब 80 लोगों ने अपनी सहभागिता दी।

इस अंक में...

- विकास का पैसा केन्द्र के पास अटका 3
- अन्ना खुश: 46 साल अटका लोकपाल बिल पास .. 6
- वसुंधरा राजे ने बनाई सरकार 7
- उपकरणों से रुकेगी पानी की बर्बादी 9
- नहीं घटे महिला अत्याचार 10

नगर निगम की सेवाओं में सुधार के लिए जनभागीदारी आवश्यकः महापौर

जन भागीदारी से ही स्थानीय निकाय की सेवाओं में सुधार किया जा सकता है, साथ ही विभागों के बीच सामंजस्य के अभाव में भी कई कार्य समय पर बेहतर तरीके से नहीं हो पाते हैं।

यह विचार महापौर ने कट्स संस्था की ओर से 19 दिसम्बर को होटल जयपुर पैलेस में आयोजित माई सिटी परियोजना के द्वितीय चरण की औपचारिक शुभारम्भ बैठक के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने निगम की ओर से संचालित कई योजनाओं जिनमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नम्बर आदि के बारे में बताते हुए कहा कि इन सेवाओं का संचालन नागरिकों से सीधे जुड़ने के लिए किया गया है। महापौर ने कट्स की इस परियोजना की सराहना करते हुए इसे आमजन की सुविधा के लिए बेहतर माना एवं परियोजना के लिए नगर निगम की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया ।

कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने प्रारम्भिक उद्बोधन में परियोजना की जानकारी देते हुए कहा कि जयपुर शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कट्स का प्रयास आम नागरिकों को स्थानीय निकायों की सेवाओं से सीधे जोड़ना है ताकि जनता की मांग निकायों तक पहुंच सके।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई एम्पॉवर्ड कमेटी के चेयरमेन जस्टिस वी.एस.दवे ने कहा कि जयपुर शहर की हालत बहुत ही चिंताजनक है, जहां पर हर तरह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अधिकारों की चर्चा करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। उप महापौर मनीष पारीक ने निगम की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि निगम के अन्तर्गत कई तरह के कार्य होने के बावजूद भी अधिकार बहुत ही कम दिए गए हैं। कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम के पार्षदगण व अधिकारीगण स्वयंसेवी संगठनों व स्थानीय विकास समितियों के प्रतिनिधिगण शामिल हुए।

गौरतलब है कि कट्स द्वारा एशिया फाउण्डेशन के सहयोग से माई सिटी नाम से एक परियोजना का संचालन जयपुर शहर में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आम जन की सेवा वितरण प्रणाली में भागीदारी बढ़ाकर स्थानीय निकायों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। परियोजना का प्रथम चरण गत वर्ष जयपुर के आठ चयनित वार्डों में स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए क्रियान्वित किया गया। प्रथम चरण में मिली सफलताओं को देखते हुए अब इसे जयपुर शहर के अन्य वार्डों में दोहराया जाएगा।

'इनसाइट इन्टू इंडियन स्टेटस' परियोजना का राजस्थान में शुभारम्भ

कट्स द्वारा यू.एन.डी.पी.के साथ मिलकर 12 दिसम्बर, 2013 को जयपुर में 'इनसाइट इन्टू इंडियन स्टेटस' नाम की एक परियोजना का राज्य स्तर पर शुभारम्भ किया। इस परियोजना के तहत चयनित चार राज्यों, असम, ओडिसा, कर्नाटक और राजस्थान में ग्रामीण गैर-कृषि आजीविका के क्षेत्र में सफल योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

शुभारम्भ बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुबीर कुमार, मिशन डाइरेक्टर, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद् ने कहा कि सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाए एवं कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कई कारणों से अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। सकारात्मक आलोचनाओं के द्वारा इन कार्यक्रमों व योजनाओं से सुधार किए जा सकते हैं।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने परियोजना की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण गैर कृषि आजीविका के अन्तर्गत करीब एक तिहाई लोग कार्य करते हैं, जबकि इसका सकल घरेलू उत्पादन में 60 प्रतिशत हिस्सा है। इस परियोजना के अन्तर्गत अध्ययन के निष्कर्षों को वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जो आसान आंकड़ों और महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण होगी। इस अवसर पर रितु माथुर, यू.एन.डी.पी. ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ-साथ असमानताएं बढ़ रही हैं। आजीविका के क्षेत्र में दक्षता में सुधार के साथ चलाए जा रहे कार्यक्रमों में मॉनिटरिंग का होना आवश्यक है।

कार्यक्रम में राज्य के पूर्व सचिव एम.एल.मेहता ने कहा कि रोजगार पैदा करना सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर साल लगभग दस लाख लोग इक्कीस वर्ष की आयु के हो जाते हैं। जब कि सरकार केवल तीस हजार तक ही रोजगार उपलब्ध करा पाती है। कृषि का क्षेत्र लाभ का क्षेत्र नहीं रहा। मद्देनजर गैर कृषि दक्षता में सुधार एवं बाजार से जुड़ी योजनाओं को बढ़ाया जाना जरूरी है।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, नाबार्ड, रूडा व अन्य गैर कृषि आजीविका क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और विचारों का आदान-प्रदान किया।

अभियंताओं ने दबाई बिजली चोरी

बिजली चोरी की सूचना मिलने पर चौमूं क्षेत्र की दशमेश आइस एंड आयल मिल में जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं ने छापा मारा। टीम को मीटर की बॉडी सील टूटी मिली। लाखों की बिजली चोरी के पुख्ता प्रमाण मिले लेकिन मीटर बदलने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को दबाए रखा। इसी बीच जेपीडीसी में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शिकंजे में फंस गए। इस पर फील्ड अभियंताओं में खलबली मच गई।

करीब तीन माह के बाद उक्त आइस फैक्ट्री से जब्त मीटर की डिस्कॉम लेब में जांच कराई गई। जांच के आधार पर एक करोड़ 50 लाख 22 हजार 790 रुपए की राजस्व हानि सामने आई। तब जाकर उपभोक्ताओं को इसे जमा कराने का नोटिस दिया गया। उपभोक्ता के जुर्माना राशि जमा कराने से इनकार करने के बाद अब एफआईआर दर्ज कराई गई है। *(रा.प., 04.10.13)*

मानवाधिकार आयोग–कुर्सी खाली

हाईकोर्ट और राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा के दखल के बावजूद राज्य मानवाधिकार आयोग को साढ़े तीन साल से अध्यक्ष का इंतजार है। फिलहाल अध्यक्ष का काम सदस्य एच. आर. कुड़ी ही देख रहे हैं। राज्यपाल के साथ ही मानवाधिकार संगठन भी आयोग के अध्यक्ष का पद खाली होने से नाराज है।

राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से भी याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर करीब दो साल पहले ही हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद भरने के लिए कहा था। इसके बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। आयोग के अध्यक्ष पद के साथ ही सचिव का पद भी रिक्त है। वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष ने सचिव लगाने के लिए राज्य सरकार को कई बार लिखा लेकिन सरकार नहीं सुन रही। *(रा.प., 31.12.13)*

पशु विकास पर नहीं हुआ खर्च

पिछले पांच सालों से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड में कुप्रबंधन के चलते तीन करोड़ 34 लाख रुपए का उपयोग नहीं हुआ। यह राशि केन्द्र सरकार ने पशुधन विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए मंजूर की थी। यह राशि पशुपालकों तक पहुंचती तो उन्हें भी लाभ मिलता और दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती। अब यह राशि मजबूरन बोर्ड को वापस केन्द्र सरकार को लौटानी होगी।

यह ही नहीं बोर्ड के विकास निधि के तहत करीब 10 करोड़ रुपए जमा है। नियमानुसार इसमें से 85 फीसदी राशि का उपयोग किया जाना जरूरी था। अब इस राशि को आय मानकर आयकर विभाग ने टैक्स वसूली का नोटिस भेजा है। *(रा.प., 11.12.13)*

पुलिस का घर भी सुरक्षित नहीं

पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) से 214 कांस्टेबलों की सेवा संबंधी सत्यापन रिपोर्ट गायब हो गई। यह सभी 1994 व 1995 में हुई भर्ती में नियुक्त हुए थे। जयपुर स्थित माणक चौक थाने ने एक कांस्टेबल के फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल करने के मामले में तफ्तीश के दौरान कांस्टेबल का भर्ती रिकॉर्ड मांगा गया तब इसका खुलासा हुआ।

खास बात यह है कि अधिकारियों ने भी कांस्टेबल को मूल तथ्यों से छेड़खानी करने का दोषी माना, लेकिन पत्रावली गायब होने पर विभागीय कार्रवाई तक नहीं की गई। पत्रावलियों के खोने की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। कारण बताया जा रहा है कि कार्यालय के अनुभागों को अलग-अलग जगह शिफ्ट करने के दौरान यह पत्रावलियां व सत्यापन रिपोर्ट इधर-उधर हो गई। इन्हें काफी तलाशा गया, लेकिन मिल न सकी। *(रा.प., 21.11.13)*

जिन्हें पिछड़ा बताया वो हमसे आगे

केन्द्र की रघुराम राजन समिति ने जिन नौ राज्यों को राजस्थान से पिछड़ा माना है, उनमें से पांच राज्य विकास दर के मामले में राजस्थान से आगे रहे हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान राजस्थान की वार्षिक औसत विकास दर लगभग सात प्रतिशत रही है, जब कि नौ में से पांच राज्य 8 से 12 प्रतिशत तक की विकास दर हासिल कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने विशेष दर्जे की मांग कर रहे राज्यों की मांग का अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया था।

इधर, राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष व प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् सदस्य प्रो.वी.एस.व्यास ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि इसका विरोध होना चाहिए। उनका कहना है कि राजस्थान किसी भी दृष्टि से अब पिछड़ा नहीं है। राजस्थान विभिन्न आधार पर हमेशा से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता रहा है। *(रा.प., 15.10.13)*

कब मिलेंगे गरीबों को आवास?

सस्ते मकान देने की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत निजी आवासीय योजनाओं में पौने चार साल बाद भी किसी गरीब को भूखण्ड या फ्लेट आवंटित नहीं हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 दिसम्बर, 2009 को यह नीति जारी की थी।

राज्य सरकार की इस फ्लेगशिप योजना के मॉडल के अनुसार निजी टाउनशिप व ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्धारित संख्या में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करना जरूरी है। लेकिन कई टाउनशिप व ग्रुप हाउसिंग योजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें आरक्षित करने के बावजूद किसी गरीब को आशियाना नहीं मिला। *(रा.प., 08.12.13)*

विकास का पैसा केन्द्र के पास अटका

राज्य सरकार की तरफ से लगातार 'मान मनुहार के बावजूद' विकास कार्यों के पेटे अटकी राशि देने पर केन्द्र सरकार पिघली नहीं है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन में अपनी हिस्सेदारी के 189 करोड़ रुपए लम्बे समय से अटका रखे हैं। जबकि, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ को दो बार राशि जारी करने के लिए पत्र लिख चुके हैं।

इसके अलावा मंत्रालय की विभिन्न बैठकों में मामला उठाया जा चुका है, इसका अब तक कोई असर नहीं हुआ है। दरअसल, केन्द्र ने राज्य सरकार के सामने कई सुधार लागू करने की शर्त रखी थी। इस पर राज्य सरकार ने 85 फीसदी सुधार लागू कर दिए। मंत्रालय ने जितने प्रतिशत सुधार लागू हुए उस हिसाब से अटकी राशि जारी करने का निर्देश भी दिया, लेकिन मामला वित्त मंत्रालय में अभी भी अटका है। *(रा.प., 01.11.13)*

कहां है यूजर चार्ज की वसूली राशि?

राज्य सरकार द्वारा यूजर चार्ज से संबंधित अधिसूचना वापस लेने से पहले जनता से यूजर चार्ज के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की थी। राज्य सरकार ने यह राशि जनता को वापस नहीं लौटाई। राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना जारी करने से पहले यूजर चार्ज वसूलना शुरू कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी होते ही अधिसूचना को वापस ले लिया गया। लेकिन इससे पहले वसूल की गई राशि सरकार ने जनता को नहीं लौटाई।

इस मामले में अनिल भंडारी व अधिवक्ता सुनील भंडारी की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायाधीश वी.के. माथुर की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है कि सरकार ने वसूले गए रुपयों का क्या किया?

(दै.भा.एवं रा.प., 08.11.13)

घोटाले की जांच पर चुप्पी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के तत्कालीन वित्तीय सलाहकार नरेन्द्र तंवर के फर्जीवाड़े पर बोर्ड ने चुप्पी साध रखी है। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में पकड़े गए तंवर के खिलाफ बोर्ड ने अब तक ना तो कोई विभागीय जांच बिठाई और न ही अपनी ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बोर्ड के पूर्व वित्तीय सलाहकार तंवर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 15 मार्च, 2013 को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो ने उनके आवास से बोर्ड की 54.70 करोड़ रुपए की एफडीआर बरामद की थी।

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ था कि तंवर ने बोर्ड की 11 करोड़ रुपए की एफडीआर को भुना कर राशि अपने खाते में जमा करा दी थी। उन्होंने बोर्ड प्रशासन की जानकारी में लाए बगैर ही विभिन्न बैंकों में 50 से भी ज्यादा खाते खोल रखे थे। माना जा रहा है कि तंवर इतना बड़ा घोटाला अकेले नहीं कर सकते, इसमें मिलीभगत होने की संभावना है। *(रा.प., 01.11.13)*

किसान सेवा केन्द्र–फूंके करोड़ों

बाड़मेर जिले में वर्ष 2007 से लागू हुई पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना में किसान सेवा केन्द्र बनाने का सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि एक-एक ग्राम पंचायत में छह-छह किसान सेवा केन्द्र बना दिए गए। ग्राम पंचायत शहदाद के गांव उतरबा में एक साथ छह किसान सेवा केन्द्रों की स्वीकृति जारी हुई है। एक सेवा केन्द्र का बजट डेढ़ लाख रुपए है।

बीआरजीएफ योजना में दो लाख रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास रहता है। इसलिए सेवा केन्द्रों की स्वीकृतियां दो लाख रुपए के भीतर रखी गई। किसान सेवा केन्द्रों के नाम से बने ये भवन निजी हित में उपयोग लिए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए सरकारी भवन अब परिवार विशेष के काम आ रहे हैं। *(रा.प., 08.11.13)*

खुद के राशनकार्ड पर लगे ठप्पे

खाद्य सुरक्षा योजना में ऐसे लोग भी पात्रता की सूची में शामिल हो गए हैं जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत है। इस तथ्य को जिला रसद अधिकारी ने भी स्वीकार करते हुए कहा है कि अपात्र लोगों में राज्य कर्मी भी शामिल हैं। ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी और उनके खिलाफ सरकारी गेहूं खुर्द-बुर्द करने का मामला संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराया जाएगा।

रसद विभाग ने आयकर रिटर्न भरने वालों की सूची मांगी थी। यह सूची रसद अधिकारियों ने देखी तो गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। इस सूची में रिटर्न भरने वालों के नाम, शहर का नाम व आयकर का पेन नंबर अंकित किया गया है। अब हर पेन नंबर से संबंधित व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाएगा। सुभाष चौधरी, जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर का कहना है कि जांच-पड़ताल करवाई जा रही है, गलत लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

(रा.प., 03.11.13)

कमजोर है राज्य का लोकायुक्त

राजस्थान का लोकायुक्त कानून दूसरे राज्यों से कमजोर है, लेकिन पिछले 40 साल में किसी भी सरकार ने इसे मजबूत बनाने का प्रयास नहीं किया। लोकायुक्त एस.एस. कोठारी खुद महसूस करते हैं कि मौजूदा लोकायुक्त कानून जनसमस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त नहीं है। लोकायुक्त कानून में संशोधन के लिए चुनाव बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

राज्य में लोकायुक्त पूर्व मंत्रियों और पूर्व अधिकारियों के मामलों की जांच नहीं कर सकता। निजी विश्वविद्यालय और रोडवेज तक लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। सर्च एण्ड सीजर का अधिकार भी लोकायुक्त को नहीं है। प्रदेश में उप लोकायुक्त का पद भी नहीं भरा जा रहा। स्टाफ की कमी से काफी शिकायतें लम्बित हैं। *(रा.प., 01.11.13)*

अटकाई 300 करोड़ की योजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा पर पशुपालन निदेशालय के अधिकारियों ने पानी फेर दिया। मार्च, 2012 में राज्यभर में गाय-भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए 2000 समन्वित पशुधन विकास केन्द्र खोलने के लिए बनाई गई 300 करोड़ रुपए की योजना अफसरों की खराब नीयत की भेंट चढ़ गई और यह अब तक लागू नहीं हो सकी।

अब चुनाव के कारण निकट भविष्य में इसके लागू होने की संभावना भी नहीं दिखती। निदेशालय के अधिकारी पसंदीदा कम्पनी की निविदा में गड़बड़ी कर ठेका देने पर आमादा थे। उन्होंने वित्तीय मंजूरी के लिए फाइल पशुपालन मंत्री हरजीराम बुरडक और प्रमुख पशुपालन सचिव के पास भिजवा दी। उन्होंने भी निदेशालय स्तर पर टेंडरिंग प्रक्रिया को उचित नहीं मानते हुए तमाम प्रक्रिया को रोक दिया। *(रा.प., 02.10.13)*

सूचना देने में जेडीए फिसड्डी

जेडीए अधिकारियों की मनमानी के आगे आमजन की परेशानी बौनी साबित हो रही है। ऐसे कई लोग अधिकारियों के कमरों के बाहर घंटों बैठे रहते हैं, जिन्हें सूचना व अन्य जानकारी लेनी होती है। लेकिन मिलीभगत के खेल में आमजन को बिसराया जाता रहा है। थकहारकर, आवेदनकर्ता को सूचना का अधिकार का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसमें भी तय मियाद में सूचना नहीं दी जा रही है। बल्कि अधूरी सूचना देकर जिम्मेदारी से इतिश्री कर रहे हैं।

राज्य सूचना आयोग ने सूचना नहीं देने के ऐसे मामलों में जेडीए पर 2.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पिछले डेढ़-दो माह में 11 मामलों में लगाया गया है। खास यह है कि इनमें अकेले आठ मामलों में लोक सूचना अधिकारी और उपायुक्त-प्रथम को दण्डित किया गया है, जिन्हें 1.90 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा आयोग ने जेडीए प्रशासन को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। *(रा.प., 23.12.13)*

कालेधन के चोरों का होगा खुलासा

विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन की जानकारी भारत को मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कर चोरी रोकने और कालेधन पर अंकुश लगाने लिए भारत का मुख्य साझीदार जर्मनी के पास स्थित छोटा सा देश लिचटेंस्टाइन अपने यहां बैकों में जमा भारतीयों के गोपनीय खातों और कालेधन के बारे में जानकारी देगा। इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट संगठन (ओईसीडी) के करार पर दस्तखत के बाद विदेशों में जमा भारतीयों के करअपवंचना व कालेधन के बारे में पुख्ता और प्रमाणिक जानकारी मिल सकेगी।

कहा जा रहा है कि स्विटजरलैंड सहित कई देशों में भारतीयों के हजारों करोड़ रुपए बतौर कालाधन जमा है। ओईसीडी में स्विटजरलैंड भी शामिल गया हो है। भारत इसका पहले से अहम सदस्य है। ओईसीडी अंतरराष्ट्रीय नीति सलाहकार संस्था है, जो कर मानक तय करती है। कर चोरी और गैरकानूनी लेनदेन पर अंकुश लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। *(रा.प., 18.11.13)*

... और फाइल गायब हो गई

केन्द्र सरकार से सूचना के अधिकार के तहत यह पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के भ्रष्टाचाररोधी प्रस्ताव (यूएनसीएसी) के साथ नौ मई 2011 को भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।

इस पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने जवाब में बताया कि क्रियान्वयन खंड ने फाइल के सेट को पूरा कर लिया था। यह संगठित होने की प्रक्रिया में थी। यह फाइलें खंड में नहीं खोजी जा सकती। हालांकि फाइलों को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब भी मिलेगी, आपको जवाब दे दिया जाएगा। इस फाइल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाए जाने का मसौदा था। *(रा.प., 25.11.13)*

मंजूर नहीं आरटीआई में संशोधन

जन संगठनों ने राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे से बाहर रखने की संसदीय समिति की सिफारिश पर विरोध दर्ज कराते हुए इस कानून में संशोधन पर सवाल उठाया है।

चुनाव सुधार के लिए संघर्षरत एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सहित अन्य जन संगठनों तथा पूर्व सूचना आयुक्त व आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने संसदीय समिति की उस टिप्पणी पर सवाल उठाया है, जिसके जरिए संसदीय समिति ने केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले में कानून की सही व्याख्या नहीं होने की बात कही गई है।

जन संगठनों का कहना है कि राजनीतिक दल सूचना आयोग के फैसले से नाखुश हैं तो वे उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दें, इस मुद्दे पर कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। *(रा.प., 31.12.13)*

लोकायुक्त को मिलें ज्यादा अधिकार

लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है जो बिना किसी दबाव में निष्पक्ष काम करती है। वर्तमान परिपेक्ष्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते इस संस्था की आवश्यकता बढ़ गई है। आज शिकायत करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकायुक्त को मजबूत करने में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ अर्थात मीडिया की सशक्त भूमिका हो सकती है।

लोकायुक्त एस.एस.कोठारी ने यह विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए लोकायुक्त को शिकायत करने वालों को परेशान कर रहे हैं। जबकि संस्था सरकारी कामकाजों में पारदिर्शिता लाने एवं मामलों की शासकीय प्रक्रिया में न्यायपूर्वक जांच करने का काम कर रही है। *(रा.प., 22.10.13)*

भ्रष्टाचार में भारत 94वें स्थान पर

वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में वर्ष 2013 में भारत 94 वें स्थान पर है। पिछले साल भी भारत 94वें स्थान पर ही था। भारत को 100 में से 36 अंक मिले हैं। 127 देशों में हुए सर्वे के अनुसार अफ्रीकी देश सोमालिया दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश माना गया है, जबकि डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे ईमानदार देश हैं।

भ्रष्टाचार की सूची में पाकिस्तान 127, चीन 80 और अमेरिका 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार 70 फीसदी लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार विश्व के लिए सबसे गंभीर संकटों में से एक है। भ्रष्टाचार से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। *(रा.प., 04.12.13)*

जब्त हो भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति

पूरे देश में जल्द ही भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जानी चाहिए। इसके लिए भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त होनी चाहिए। राज्य के उद्यमियों-व्यापारियों ने कार्मिक व विधि मामलों पर गठित संसद की स्थाई समिति के सदस्यों के सामने अपनी यह राय व्यक्त की है।

यह समिति केन्द्र सरकार की ओर से मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन करने के लिए पूरे देश में बैठकें कर उद्यमियों, व्यापारियों व नौकरशाहों के विचार जान रही है। उद्यमियों का कहना है कि कुछ भ्रष्ट लोगों के साथ ऐसा करने पर दूसरे भ्रष्टाचारियों को सबक मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद शांता कुमार नाइक ने की। बैठक में समिति सदस्य के रूप में राजस्थान के सांसद अर्जुनराम मेघवाल भी मौजूद थे। *(रा.प., 10.10.13)*

काली कमाई वालों को बचा रही सरकार

आय से अधिक सम्पत्ति जब्त करने के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 को विधान सभा में पारित हुए सवा साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन सरकारी सुस्ती का आलम यह है कि कानून अभी तक अमल में नहीं आ पाया।

राज्य सरकार आय से अधिक सम्पत्ति जब्त करने के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से चिन्हित नौ मामलों को तीन माह से भी ज्यादा समय से दबाए बैठी है। सरकार ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने में फुर्ति दिखाई होती तो करोड़ों रुपए की सम्पत्ति स्कूल-अस्पताल के लिए मिल जाती। *(रा.प., 11.10.13)*

अधिनियम की खास बात

- *सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट, जज डीजे या एडीजे स्तर का होना।*
- *पुराने व रिटायर्ड अधिकारियों के मामले भी आ सकेंगे दायरे में।*
- *हाईकोर्ट से अपील भी छह माह में तय हो जाएगी।*
- *दोषमुक्त अधिकारी को सम्पत्ति की बाजार दर से कीमत और पांच प्रतिशत ब्याज मिलेगा।*

अन्ना खुश: 46 साल अटका लोकपाल बिल पास

आखिर संसद ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से लोकपाल बिल को पारित कर दिया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही यह लोकपाल कानून बन जाएगा। पिछले पांच दशकों से अटके लोकपाल के लिए समाजसेवी अन्ना हजारे ने पिछले करीब तीन सालों से लगातार लड़ाई लड़ी है। उनके इस संघर्ष को अपार जनसमर्थन मिला। बिल पारित होने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोकपाल बिल को राज्यों और अन्य निचले स्तरों पर भी लागू किया जाए। माना जा रहा है कि यह कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित होगा।

<u>जानिए खास बातें:</u>

- सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से की जा सकेगी। लोकपाल खुद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकेंगे।
- भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता को एक साल की सजा का प्रावधान है।
- किसी भी अधिकारी की जांच से पहले लोकपाल छापे मार सकता है ।
- लोकपाल से जुड़े मामलों में सीबीआई लोकपाल के अधीन काम करेगी। जांच से जुड़े सीबीआई अफसरों का ट्रांसफर नहीं होगा। लोकपाल को हटाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा।
- राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार राज्य विधानसभा के पास है। कानून बनने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
- सभी श्रेणियों के सरकारी अधिकारी व कर्मचारी इसके दायरे में हैं। एक समय सीमा में जांच का प्रावधान रखा गया है।
- प्रधान मंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा गया है, हालांकि उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया होगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 18.12.13, 19.12.13)

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
उदयपुर	कानाराम चौधरी	सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	14,000	*दै.भा., 02.10.13*
जोधपुर	खेताराम चौरड़िया	भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील मुख्यालय, पीपाड़सिटी	20,000	*रा.प., 04.10.13*
जालौर	सुरेन्द्रसिंह मनोहर नरेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, जालौर कनिष्ठ लिपिक, उद्यान विभाग, जालौर	20,000	*रा.प.एवं दै.भा., 5.10.13*
कोटा	एम.के.अग्रवाल जगदीशलाल खटीक	अधीक्षण अभियंता,राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम टेक्निकल असिस्टेंट,राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम	21,000 5,500	*दै.भा., 10.10.13*
भीलवाड़ा	राजेन्द्र प्रसाद माहूर	ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत गुहाना	15,000	*दै.भा., 10.10.13*
सीकर	जगदीश प्रसाद मीणा	पटवारी, सीकर	5,000	*रा.प., 15.10.13*
प्रतापगढ़	पूरणसिंह चौधरी	एक्सईएन(क्वालिटी कंट्रोल) पीडब्लूडी	80,000	*रा.प., 18.10.13*
सिरोही	चन्द्र प्रकाश अग्रवाल	सरपंचपति, बरलूट ग्राम पंचायत सरपंच सुधादेवी के पति	15,000	*रा.प., 23.10.13*
हनुमानगढ़	जगराज पूनिया सुरजन सिंह	अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य, पालेवाली ढाणी, हनुमानगढ़	20,000	*रा.प.एवं दै.भा., 25.10.13*
जयपुर	विनय कुमार गुप्ता मुकेश शर्मा	अधिशाषी अभियंता, पीडब्लूडी कार्यालय, जयपुर दलाल	50,000	*रा.प., 30.10.13*
जालौर	सुदेश सिंह	सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	1,00,000	*रा.प.एवं दै.भा., 08.11.13*
जयपुर	डॉ. आभा जैन	उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी (आरएएस)	23,000	*रा.प.एवं दै.भा., 13.11.13*
डूंगरपुर	योगेश पाण्ड्या	वरिष्ठ लिपिक, महारावल स्कूल	2,500	*रा.प., 26.11.13*
चूरू	अनिल मीणा	कनिष्ट अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम	20,000	*रा.प., 04.12.13*
उदयपुर	दिनेशचन्द्र पुष्करणा महेन्द्रसिंह सिसोदिया	कनिष्ठ अभियंता, विद्युत प्रसारण निगम,उदयपुर सहायक अभियंता, विद्युत प्रसारण निगम, उदयपुर	20,000	*रा.प., 25.12.13*

बेहतरी के लिए करेंगे मेहनत

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि वह राजस्थान की बेहतरी के लिए जी-तोड़ मेहनत करने का प्रयास करेंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। सरकार और उसके अधिकारियों, सिविल सोसायटी और जनता के तालमेल से ही सुखद परिवर्तन लाया जा सकता है।

राजे ने सोशल मीडिया पर प्रदेश की जनता के नाम एक सन्देश जारी करते हुए कहा है कि सुदृढ़ राजस्थान के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश की अनगिनत समस्याओं को समझना है। यह काम शुरू कर दिया गया है। बदलाव के लिए कुछ समय चाहिए। यह देश में बदलाव लाने का चुनाव है, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है।

(रा.प., 19.12.13)

लोक अदालत में निपटे लाखों मुकदमें

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेशभर में तालुका से लेकर हाईकोर्ट स्तर पर लगी नेशनल लोक अदालत द्वारा छह दिन में राजीनामे से करीब ढ़ाई लाख मुकदमों का निपटारा किया गया। पक्षकारों को 74 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा के अवार्ड भी दिलवाए गए। जयपुर महानगर में ही 37 हजार मुकदमों का निपटारा किया गया।

लोक अदालत के समापन पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और हाईकोर्ट न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटे मुकदमों से न केवल वर्षों से लड़ रहे पड़ोसी, किराएदार, साझेदार और भाईयों की बीच की खटास दूर हुई है, बल्कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना दावे के मुकदमों में 74.37 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित हुए।

(दै.भा. एवं रा.प., 24.11.13)

मांगी योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी आईएएस अफसरों से उनके विभागों में चल रही प्रमुख योजनाओं, खास मुद्दों व पिछले पांच सालों में किए गए कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण मांगा है। इसमें ज्यादा जोर गहलोत सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं पर है। दरअसल, राजे सभी विभागों के लिए सौ दिन की कार्ययोजना तैयार करना चाहती है और इसी कडी में सभी विभागों से उनके यहां चल रहे कामकाज की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।

इसके आधार पर सभी योजनाओं की जल्द ही समीक्षा की जाएगी। राजे कांग्रेस सरकार की मुफ्त दवा, साड़ी कंबल, सीएफएल, लेपटॉप, सामाजिक पेंशन और गरीबों के आवास आदि योजनाओं की मौजूदा स्थिति जानना चाहती है। हालांकि इनमें से किसी योजना को बन्द करने की संभावना कम है, लेकिन इनके सही क्रियान्वयन के लिए बदलाव किए जा सकते हैं।

(रा.प., 18.12.13)

सहकारिता आंदोलन होगा मजबूत

राज्य के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा है कि चुनाव घोषणा-पत्र में की गई सहकारिता से संबंधित सभी घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। राज्य की सहकारी संस्थाओं का सशक्तिकरण और सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाया जाएगा, वहीं शहरी क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा कर उनके कामों को गति देने पर उनका जोर रहेगा।

उन्होंने किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति संबंधी जमीनी प्रकरण में कार्रवाई को लेकर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। सहकारिता अधिनियम व नियमों के तहत मामले की गहन जांच की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्सा नहीं जाएगा। *(रा.प., 24.12.13)*

युवाओं को चाहिए रोजगार

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं के लिए रोजगार को सबसे अहम बताया है और कहा है कि 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए बेहतर शिक्षा व व्यावसायिक कौशल पर ध्यान देना होगा। राजस्थान विजन-2020 पेश करते हुए फेसबुक पर आई एक युवक की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए राजे ने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए। मुफ्त लेपटॉप, साइकिल, स्कूटी नहीं ।

उन्होंने कहा कि सरकार की नगदी बांटने सहित अन्य योजनाएं केवल इस कारण बंद नहीं होंगी कि वे पिछली सरकार की थी। सभी की समीक्षा की जाएगी। इनका पैसा आधारभूत क्षेत्र के विकास और युवाओं को रोजगार के लिए स्किल डवलपमेंट पर खर्च होगा। यदि किसी योजना के सिस्टम में कमियां हैं, तो उन्हें दूर किया जाएगा। *(रा.प., 24.12.13)*

जैविक खेती को दिया बढ़ावा

केन्द्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए उसने विभिन्न योजनाएं चलाई है। जैसे राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जैविक खेती संबंधी नेटवर्क परियोजना।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 के दौरान इन योजनाओं के लिए 167 करोड़ रुपए अतिरिक्त आंवटित किए गए हैं। इस समय परियोजना के तत्वावधान में 13 सहकारी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 12 राज्यों में चल रहे राज्य कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो किसानों को जैविक उर्वरकों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। *(न.नु., 10.12.13)*

वसुंधरा राजे ने बनाई सरकार

'कट्स' द्वारा चुनाव पूर्व किए गए सर्वेक्षण में प्रदेश के लोगों ने राजस्थान में वसुंधरा राजे द्वारा सरकार बनाए जाने की राय व्यक्त की थी। विभिन्न जिलों के शहरी और ग्रामीण जनता के 64 फीसदी लोगों ने वसुंधरा राजे को पसन्द किया था और भाजपा को अच्छा बहुमत मिलने की उम्मीद जताई थी। उनकी सभी उम्मीदें सही साबित हुई हैं।

वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने 200 में से 163 सीट जीत कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस में केन्द्रीय स्तर तक फैला भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, एक के बाद एक सामने आए घोटाले, महिलाओं पर अत्याचार, जनलोकपाल बिल पारित नहीं करना आदि उसकी हार के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। प्रदेश में चुनाव से कुछ समय पहले की गई घोषणाएं और उनका हर दिन किया गया प्रचार-प्रसार भी मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि वह उनकी सभी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करेंगी।

कुप्रबंधन से बढ़ी बिजली दरें

कुप्रबंधन के चलते बिजली कंपनियों का घाटा पिछले पांच साल में 15 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 71 हजार करोड़ रुपए हो गया। यह तो तब है जब पिछली सरकार के कार्यकाल में घरेलू बिजली के दाम तीन बार बढ़ा दिए गए। बिजली कंपनियों के 2008-09 की 26.59 फीसदी बिजली छीजत को 19.23 फीसदी लाने के कंपनियों के दावे कागजी नजर आते हैं।

सवाल यह उठता है कि पांच साल में तीन बार बिजली की दरें भी बढ़ी और छीजत भी सात फीसदी कम होने का दावा किया गया तो फिर पांच साल में ही बिजली कंपनियों का घाटा 56 हजार करोड़ रुपए कैसे बढ़ गया। सच यह भी है कि बिजली कंपनियों की विजिलेंस जांच का काम भी दिखावा बन कर रह गया। सालों से तीन लाख से ज्यादा मीटर बन्द पड़े रहे। रसूख के दम पर गांवों और शहरों में बिजली चोरी का खेल खूब चलता रहा। जांच अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहे। इसका असली भार उस उपभोक्ता पर पड़ता रहा है, जो ईमानदारी से बिजली का बिल चुकाता है। *(रा.प., 25.12.13)*

महंगी ऊर्जा से उद्योग प्रभावित

ऊर्जा की बढ़ती कीमत और बिजली की अनियमित आपूर्ति का भारतीय उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है और इसके कारण देश के सकल घरेलू उत्पादन में सालाना 68 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। यह खुलासा स्त्रीडर इलेक्ट्रिक इंडिया द्वारा उद्योग संघ अलायंस फॉर एन एनर्जी इफीशिएंट इकोनॉमी (एईईई) के सहयोग से कराए गए सर्वेक्षण में हुआ।

सर्वेक्षण के मुताबिक 93 फीसदी कंपनियां अपनी ऊर्जा खर्च कम करना चाहती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है। एक चौथाई कंपनियों ने कहा कि उनके कुल संचालन खर्च का 10 फीसदी से अधिक खर्च ऊर्जा पर होता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमत का पूरे देश में कंपनियों के लाभ पर बुरा असर पड़ता है। इसका खास असर लघु और मध्यम उद्यमों पर पड़ रहा है। *(न.दु., 04.10.13)*

जयपुर डिस्कॉम में मिलीभगत का खेल

चौमूं के पास गोविन्दगढ़ में बिजली बिलों के बहाने उपभोक्ताओं से सवा करोड़ रुपए वसूलकर इधर-उधर करने के मामले को जयपुर डिस्कॉम प्रशासन दबाने में जुट गया है। प्रकरण सामने आए पांच माह से अधिक हो चुका है और इस दरमियान गबन की राशि पचास लाख से बढ़कर सवा करोड़ के आस-पास पहुंच गई है। बावजूद इसके डिस्कॉम ने पुलिस में मामला तक दर्ज नहीं कराया है। आला अधिकारी सिर्फ इक्का-दुक्का अफसरों पर कार्रवाई का दावा कर बचाव में जुटे हैं।

वर्ष 2008-09 के आंतरिक अंकेक्षण के दौरान खुलासा हुआ था कि गोविन्दगढ़ उपखण्ड कार्यालय में बिजली बिलों के कैश कलेक्शन में स्थानीय कर्मचारियों से मिलीभगत कर उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि को रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। जांच में गबन का मामला सवा करोड़ के करीब होने पर भी डिस्कॉम प्रशासन हाथ पर हाथ धर कर बैठा है। *(रा.प., 20.11.13)*

भूजल स्तर गिरेगा तो बढ़ेगी बिजली खपत

भूजल के अंधाधुध दोहन ने बिजली की खपत बढ़ा दी है। प्रदेश में पिछले पांच साल में केवल कृषि कनेक्शनों पर बिजली की खपत 80 प्रतिशत तक बढ़ी है। जहां 5 साल पहले कृषि क्षेत्र में 81 हजार 446 लाख यूनिट बिजली सालाना खर्च की जाती थी, वहीं अब बढ़कर एक लाख 49 हजार 283 लाख यूनिट सालाना हो गई है।

विशेषज्ञों की राय में भूजल दोहन से पानी निकालने के लिए पहले की तुलना में बड़ी मोटर (ज्यादा हॉर्सपॉवर) लगानी पड़ती है। इससे विद्युतभार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते भूजल का दोहन नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में भार इतना बढ़ जाएगा कि कंपनियों को बिजली आपूर्ति में तकलीफ उठानी पड़ेगी। जयपुर डिस्कॉम के पूर्व सीएमडी आर.जी. गुप्ता का कहना है कि डिस्कॉम और भूजल विभाग को मिलकर काम करने की जरूरत है। *(दै.भा., 04.10.13)*

किसानों को आठ घंटे बिजली

प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बिजली कंपनियों ने किसानों को आठ घंटे बिजली देने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल, भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को 8 घंटे के ब्लाक में बिजली आपूर्ति की घोषणा की थी।

मद्देनजर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ हुई बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि अभी किसानों को साढ़े पांच घंटे बिजली आपूर्ति हो पा रही है भाजपा ने आठ घंटे बिजली का वादा किया था, लेकिन विद्युत तंत्र की स्थिति को देखते हुए अभी किसानों को सात घंटे बिजली देने का फैसला किया गया है और इसे लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम के विशेष श्रेणी कनेक्शनों में किसानों से 2.10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हो रही वसूली में भी किसानों को राहत देने पर विचार किया जा रहा है। *(रा.प., 19.12.13, 24.12.13)*

दिए जाएंगे 20 हजार नए कनेक्शन

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऊर्जा विभाग के पांच वर्षीय योजना के प्रस्तुतिकरण को देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सबके लिए विद्युत योजना के तहत 100 से कम आबादी की ढाणीयों में 20 हजार नए कनेक्शन दिए जाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को 60 हजार विद्युत कनेक्शन और 15 हजार नए कृषि कनेक्शन दिए जाने को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की गुणवत्ता बनाए रखने में कोई कसर नही रखी जानी चाहिए। उत्पादन निगम की इकाइयों में जहां उत्पादन कम हो रहा है वहां सुधार करें, जिससे उत्पादन और बढ़ सके। उन्होंने सौलर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर खास जोर देने की जरूरत बताई। *(दै.भा., 29.12.13)*

डिस्कॉम स्टेशनों में लगेंगे सोलर प्लांट

राजधानी जयपुर सहित जोधपुर और अजमेर के 50 सब-स्टेशन सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करेंगे। इनसे बारिश के दिनों को छोड़कर सालभर बिजली मिलेगी और छीजत भी कम होगी।

पहले चरण में जयपुर डिस्कॉम के 20, जोधपुर डिस्कॉम के 16 और अजमेर डिस्कॉम के 14 सब-स्टेशनों में एक-एक मेगावाट सोलर प्लांट से ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स रेट पर बिजली सप्लाई की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 350 से 400 करोड़ रुपए आएगी। योजना के सफल होने पर सब-स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। *(दै.भा., 31.12.13)*

वेबसाइट बताएगी धरती में कितना पानी

प्रदेश के भूजल विभाग ने गिरते जलस्तर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूरोपियन यूनियन के सहयोग से भूजल सूचना प्रणाली बिकसित की है। किस क्षेत्र में भूजल का क्या स्तर है, कहां डेंजर जोन है। कहां नीचे पथरीला हिस्सा है, यह सब जानकारी वेबसाइट के जरिए आम लोगों के लिए मुहैया कराई जाएगी।

वेबसाइट पर पानी मे फ्लोराइड, खारापन, क्लोराइड, नाइट्रेट की मात्रा व उसकी गुणवत्ता भी क्षेत्रवार बताई जाएगी। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने राज्य की 34 पंचायत समितियों के क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया है, जबकि केवल 25 पंचायत समितियों में ही भूजल सुरक्षित रह गया है। *(रा.प., 02.10.13)*

नहीं पिला रहे पूरा पानी

कहने को तो जयपुर महानगरों की जमात में शामिल है, लेकिन यहां के लोगों को तय गाइडलाइन के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा। महानगर में एक व्यक्ति को 775 लीटर शुद्ध पानी रोजाना मिलना चाहिए, लेकिन जलदाय विभाग चार से पांच सौ लीटर पानी ही दे रहा है। विभाग के मुताबिक शहर में प्रतिदिन करीब 4656 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन विभाग को अभी 4015 लाख लीटर पानी ही मिल पा रहा है।

बीसलपुर से प्रतिदिन 3180 लाख लीटर पानी लिया जा रहा है, इसके अलावा नलकूपों से भी रोजाना 835 लाख लीटर पानी लेना पड़ रहा है। जलदाय विभाग सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता सी.एल.जाटव भी इससे सहमत है और कहते हैं कि पूरे शहर में नियमों के अनुसार पानी सप्लाई की अवधि को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। *(रा.प., 21.12.13)*

सतही पेयजल योजना बनाने पर जोर

जलदाय मंत्री प्रो.सांवरलाल जाट ने जल भवन में विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक कर जलदाय विभाग के काम-काज की समीक्षा के दौरान भूमिगत जलस्तर में गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने भूमिगत जल को शुद्ध और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को सतही पेयजल योजना बनाने पर जोर दिया और लोगों की पेयजल समस्याओं के तत्काल समाधान की हिदायत दी।

उन्होंने विभाग के कनिष्ठ अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता के स्तर तक नियमित बैठकें कर शुद्ध पेयजल के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हर पंचायत समिति स्तर पर पानी की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने की कवायद शुरू की है। बैठक में प्रमुख सचिव प्रेम सिंह मेहरा ने गर्मी में पेयजल की नियमित सप्लाई को लेकर अग्रिम कार्ययोजना बनाने को कहा। *(रा.प., 25.12.13, 27.12.13)*

पेयजल सप्लाई प्लान-मशक्कत शुरू

बीसलपुर बांध में इस साल पर्याप्त पानी आने के बाद जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने भी शहर में पानी सप्लाई के लिए नई प्लानिंग की मशक्कत शुरू कर दी है। इसमें नई कॉलोनियों को पेयजल सप्लाई से जोड़ने के साथ ही पहले से जुड़ी कॉलोनियों में प्रेशर से पानी देने के लिए सिस्टम में सुधार किया जाएगा।

इसके लिए आला अधिकारियों ने इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं ताकि गर्मियों के पहले प्लानिंग का काम पूरा कर लिया जाए। अब अगले साल तक ज्यादा ही जरूरत पड़ने पर ट्यूबवेल खोदा जाएगा। सामान्य स्थितियों में शहर के ज्यादातर इलाकों में बीसलपुर योजना का पानी सप्लाई किया जाएगा। *(दै.भा., 09.10.13)*

नहीं हुआ भूजल सर्वे

जयपुर संभाग के 13 जिलों में मानसून के बाद भूजल स्तर कितना रिचार्ज हुआ। भूजल विभाग का जवाब है, नहीं मालूम। वजह है भूजल के जयपुर संभाग में मानसून के बाद भूजल वृद्धि का सर्वे अभी तक नहीं हुआ। जबकि यह 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था। इसके लिए प्रक्रिया शुरू करते हुए भूजल विभाग द्वारा एक कंपनी को 20 लाख रुपए में ठेका दिया गया। यह कंपनी अभी तक काम शुरू नहीं कर पाई, इसलिए कितना भूजल रिचार्ज हुआ इस बारे में 13 जिलों के भूजल विभागों को इसकी जानकारी नहीं है। अब अगर सर्वे होगा तो वह मानसून सीजन के ढाई महीने बाद के आंकड़े होंगे।

वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक गोपाल शर्मा का कहना है भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए अब स्थानीय स्तर पर काम शुरू होगा। ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जााएगी। *(दै.भा., 03.12.13)*

वॉटर हार्वेस्टिंग पर रखेंगे निगरानी

वर्षाजल संरक्षण के लिए सड़क क्षेत्र में बनाए जाने वाले स्टॉर्म वॉटर हार्वेस्ट्रिंग स्ट्रक्चर की अब निरंतर मॉनिटरिंग होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण निर्माण करने वाली फर्म को कम से कम तीन साल देखरेख की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रहा है।

पहला वर्ष डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में होगा, जिसमें टूट-फूट व अन्य देखरेख फर्म को अपनी ही लागत से करनी होगी। अगले दो साल के दौरान खर्च होने वाली राशि जेडीए वहन करेगा, लेकिन मॉनीटरिंग उसी फर्म के जिम्मे होगी। जेडीए अधिकारियों के मुताबिक आगामी मानसून से पहले शहर के विभिन्न इलाकों में 34 स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। स्ट्रक्चर की सार-संभाल तय समय पर की गई या नहीं, इसका सत्यापन करने की जिम्मेदारी सहायक व कनिष्ठ अभियंता की होगी। *(रा.प., 20.10.13)*

उपकरणों से रुकेगी पानी की बर्बादी

शहर में जलदाय विभाग का 30 फीसदी शुद्ध पीने का पानी आज भी बर्बाद हो रहा है। इसे रोकने के लिए जलदाय विभाग के संसाधन पूरी तरह से कारगर नहीं है। इससे राजस्व की हानि भी हो रही है। पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए जलदाय विभाग अब जापानी तकनीक का सहारा लेगा।

विभाग के अतिरिक्त अभियंता (जयपुर शहर) ने बताया कि जापान की सरकारी कंपनी 'जायका' से अत्याधुनिक उपकरण अगले महीने तक मिलने की उम्मीद है। यह उपकरण 'जायका' की ओर से अनुदान के रूप में मुफ्त मिलेंगे। उपकरण मिलने के बाद पहले इनका जयपुर में प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग सफल होने पर इन उपकरणों का प्रदेश स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। *(रा.प., 17.12.13)*

ये मिलेंगे नए उपकरण

- *साउन्डिंग रॉड - इसे कान में लगाकर सड़क के ऊपर से पाइप लाइन में लीकेज का स्थान ढूंढ लिया जाएगा।*
- *मेटल डिटेक्टर - इससे सड़क के ऊपर से ही पाइप लाइन के वॉल औंर लीकेज चिन्हित किए जाएंगे।*
- *पाइप लोकेटर - इससे भी सड़क के ऊपर से ही पाइप लाइन की स्थिति पता चल जाएगी।*
- *साफ्टवेयर - इससे पाइप लाइन से लिए गए अवैध कनेक्शन चिन्हित किए जाएंगे। इससे छीजत से होने वाली राजस्व हानि का आकलन भी किया जाएगा।*

विधि सहायता हेल्पलाइन करे मदद

प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम ने दुष्कर्म पीड़ितों को समय पर कानूनी सलाह उपलब्ध

कराने के लिए 24 घंटे की विधि सहायता हेल्पलाइन और कानूनी मदद देने वाले क्लीनिक खोलने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म और ऐसे ही जघन्य अपराधों के मामले में मदद के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम ने यह सुझाव राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौके पर बोलते हुए देशभर में कानूनी सेवा प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार लाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने विधिक सहायता को लोगों का सामाजिक अधिकार बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विधिक शिविर लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा अपराध करने वाले किशोरों को कानूनी मदद उपलब्ध कराने और उनमें सुधार के लिए प्रयास करने होंगे।

(रा.प., 11.11.13)

पहला महिला बैंक शुरू

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के पहले महिला बैंक की शुरुआत की है। मुंबई व लखनऊ समेत सात शहरों में भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) की शाखाओं ने कामकाज शुरू कर दिया। महिला बैंक में पुरुष भी खाता खुलवा सकेंगे मगर कर्ज वितरण सहित सभी सुविधाओं व योजनाओं में महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी।

यह बैंक महिला उद्यमता को बढ़ावा देगा और समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को कम ब्याज दर पर कर्ज देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने पर ध्यान देगा। बैंक की यह भी खासियत है कि इसके आठ सदस्यीय निदेशक मण्डल में महिलाओं को ही जगह दी गई है। कर्मचारियों में भी 70 फीसदी महिलाएं ही होंगी। इस साल वर्ष के अन्त तक सभी राज्यों की राजधानियों में महिला बैंक की शाखाएं खुल जाएंगी। *(रा.प., 20.11.13 एवं न.नु., 10.12.13)*

लिंग जांच की सूचना पर पुरस्कार

प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए चलाई जा रही मुखबिर योजना के तहत डिकॉय आपरेशन (गुप्त अभियान) के सफल होने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस पर अभी अन्तिम निर्णय सरकार करेगी। अब डिकॉय आपरेशन के सफल होने पर मुखबिर के अलावा गर्भवती महिला व सहयोगिनी को भी पुरस्कार मिलेगा।

स्वीकृत राशि में से 80 हजार रुपए मुखबिर, 80 हजार रुपए गर्भवती महिला एवं 40 हजार रुपए सहयोगिनी को दी जाएगी। अब तक केवल मुखबिर को ही प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अब गर्भवती महिला (बोगस ग्राहक) एवं सहयोगिनी को भी राशि देने की सहमति दी गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।

(दै.भा., 27.11.13)

दूसरी पत्नी को गुजारा भत्ते का हक

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पहली शादी अस्तित्व में होने की बात छिपा कर दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। लेकिन ऐसी दूसरी पत्नी को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी माना जाएगा।

उसे अपने तथा इस दांपत्य जीवन से हुए बच्चों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गुजारा भत्ता पाने का हक है। कोर्ट ने कहा शीर्ष अदालत इससे पहले दूसरी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इन्कार कर चुकी है। लेकिन यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां पहली शादी के बारे में महिला को अंधेरे में रखते हुए दूसरी शादी की गई हो। *(दै.भा., 21.10.13)*

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर खास नजर

महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेशभर के दूरदराज क्षेत्रों में 400 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलेगा। 100 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। विभाग के 60 दिन के एक्शन प्लान के अनुसार 1100 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण करने के साथ ही 100 केन्द्रों के भवनों को अपग्रेड करने की भी योजना है।

प्रदेश के 1000 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएंगी और 5000 छात्राओं को निशुल्क कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा काम करने वाली आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए माता यशोधा अवार्ड शुरू किया जाएगा।

यह जानकारी विभाग द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान के प्रजेन्टेशन पर चर्चा के दौरान दी गई। अब इस एक्शन प्लान के प्रजेन्टेशन को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने पेश कर इसे लागू किया जाएगा। *(दै.भा., 31.12.13)*

समूहों को कम ब्याज पर कर्ज

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्म निर्भर बनाने के मकसद से स्वयं सहायता समूहों को विशेष सुविधाएं व बैकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। समूह की महिलाएं बैंकों द्वारा दिए गए ऋण से स्वयं के व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। व्यवसाय से होने वाली आमदनी में से वह आसानी से बैंक ऋण वापस चुकाने में भी आगे रहती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे महिला स्वयं सहायता समूहों को सात फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएं। केन्द्रीय बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आजीविका (एसजीएसवाई) स्कीम के तहत इन समूहों को कम दर पर ऋण दिया जाए।

(बी.एल., 18.10.13 एवं रा.प., 20.11.13)

नहीं घटे महिला अत्याचार

दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को 'दामिनी' गैंग रेप के बाद देश में महिला अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए कई दिनों तक अन्दोलन चला। कानून में बदलाव भी किए गए। घटना को लेकर प्रदेशभर में भी विरोध-प्रदर्शन हुए। लेकिन महिला अत्याचारों के ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है।

सितम्बर 2013 तक राजस्थान में दुष्कर्म के 56.95 प्रतिशत मामले बढ़े। सितम्बर, 2012 से सितम्बर 2013 तक महिला अत्याचार के मामलों में 29.87 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इनमें दहेज के लिए परेशान करने पर आत्महत्या, महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म, छेड़छाड़, अपहरण सहित कई अन्य माामले दर्ज हैं। लोगों के विरोध का अपराधों पर असर नहीं दिखा। इसकी खास वजह कानूनों का सही रूप में क्रियान्वयन नहीं होना है। *(रा.प., 16.12.13)*

पर्यावरण

जैव विविधता संरक्षण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न

कट्स द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जैव विविधता संरक्षण विषय पर 27 दिसम्बर 2013 को जयपुर स्थित रोटरी क्लब में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के चेयरमेन सुरेन्द्र सिंह चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए बताया कि राजस्थान में जैव विविधता अधिनियम 2002 से लागू है तथा जैव विविधता बोर्ड का गठन 2010 में हुआ था।

उन्होंने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही बोर्ड कार्य कर रहा है, लेकिन अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में इसके कार्य करने की प्रगति धीमी रही है। जल्द ही राज्य में जैव विविधता कमेटियों का गठन पंचायत स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जैव विविधता का भंडार है। जैव विविधता के तहत सभी प्रकार की वनस्पतियां, पशु, पक्षी, कीट-पतंगे, जलीय वनस्पतियां, विविध प्रकार के फंगस, जीवाणु सभी शामिल हैं, जिनके दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जैव विविधता अधिनियम के बारे में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों सहित स्कूली बच्चों को भी जानकारी देकर जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है।

कार्यक्रम में कट्स निदेशक जॉर्ज चेरियन ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जैव विविधता संरक्षण हेतु वर्ष 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है। भारत में जहां जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वहीं इसका दोहन भी वृहत स्तर पर हुआ है। इससे खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। इसके संरक्षण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को इस अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना होगा।

अभियान प्रभारी धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ने देश भर में चल रहे अभियान की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा राज्य में अभियान के तहत चयनित संस्थाओं को विभिन्न तरह की गतिविधियों के बारे में बताया। इस अभियान के तहत राज्य की 200 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करेंगी।

जन स्वास्थ्य

दवाओं की कीमतों में होगी कमी

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली 620 दवाएं 25 दिसम्बर के बाद सस्ती दर पर बिकने लगेंगी। इन दवाओं की कीमतें 40 से 90 फीसदी तक कम हो जाएंगी।

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर मनोज टोंग्रा का कहना है कि नए ड्रग प्राइस कंट्रोल आदेश आम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। देश में हर साल करीब 3 प्रतिशत लोग सिर्फ इलाज में लगने वाले खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। 25 दिसम्बर के बाद यदि किसी मेडिकल स्टोर पर पुराना स्टॉक भी बचा होगा तो उसे सस्ते दाम पर ही बेचना होगा। *(दै.भा., 15.12.13)*

मानक सेवा

शुद्धता ठीक, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए

जौहरियों के विश्वास पर आभूषण खरीदना अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब लोग ज्वैलर्स से गारंटी व प्रमाण-पत्र मांगने लगे हैं। ग्राहक ज्वैलरी में किए गए अपने निवेश की शत-प्रतिशत गारंटी के रूप में प्रमाणिकरण को महत्व दे रहे हैं। इसके चलते खरीद-बिक्री में काफी परिवर्तन आ गया है।

जौहरियों का कहना है कि सर्टिफिकेट की मांग एक कैरेट से अधिक वजन के हीरा, पन्ना, और रूबी जैसे मूल्यवान रत्नों में अधिक है। इसकी वजह यह है कि सर्टिफिकेट के दम पर ग्राहक अपने माल के मौजूदा मूल्य का आसानी से आकलन कर सकते हैं। डायमण्ड सर्टिफिकेट जारी करने वाली एजेंसी अपने प्रमाण-पत्र में हीरे के वजन, शुद्धता, गुणवत्ता व रंग को बारीकी से प्रमाणित करती है।

ज्वैलर्स एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष निर्मल बरड़िया का कहना है कि ग्राहक अब समझदार हो गया है। अब महंगी ज्वैलरी खरीदने वाले लोग पहले सर्टिफिकेट और इसे जारी करने वाली लैबोरेट्री के बारे में भी जानकारी जुटाने लगे हैं। ग्राहकों के विश्वास और कारोबार में वृद्धि के लिए सर्टिफिकेट आवश्यक बन चुका है। जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सचिव अजय काला का मानना है कि अनजान दुकानों से होने वाली खरीद में ग्राहक के लिए हीरे-जवाहरात का सर्टिफिकेट मील का पत्थर साबित हो रहा है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर की लैब से जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर ज्वैलरी खरीद में ग्राहकों का विश्वास बढ़ रहा है। *(रा.प., 13.12.13)*

दूरसंचार सेवाएं

रेडिएशन पर अब 10 लाख जुर्माना

मोबाइल टावर से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन पर सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने रेडिएशन स्तर तय सीमा से अधिक पाए जाने पर संबंधित कंपनी पर जुर्माना 10 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह 5 लाख प्रति बेस ट्रांससेवियर स्टेशन था। अब 4500 मिलीवाट/वर्गमीटर से अधिक रेडिएशन पाए जाने पर संबंधित कंपनी को 10 लाख रुपए चुकाने होंगे।

दूरसंचार विभाग ने यह सर्कुलर 30 नवम्बर को ही जारी कर दिया है। विभाग ने दस्तावेज जमा करा चुकी कंपनियों को सेल्फ सर्टिफिकेट दोबारा देने के लिए 31 दिसम्बर 2013 तक का समय दिया गया है। रमन लाल श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, टर्म, राजस्थान का कहना है कि जुर्माना बढ़ाने से ऑपरेटर रेडिएशन को लेकर सतर्क रहेंगे। नए नियमों में जनता की आशंकाओं को गंभीरता से लिया गया है। *(रा.प., 23.11.13)*

उपभोक्ता फैसले

रोडवेज प्रशासन दें 18 हजार जुर्माना

जयपुर स्थित श्याम नगर निवासी ओ.पी वर्मा ने उपभोक्ता जिला मंच जयपुर में राजस्थान रोडवेज के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि पारिवारिक काम से दिल्ली जाने के लिए वाल्वो बस के 3 टिकट लेकर वह अपनी पत्नी व ससुर के साथ बस में सवार हुए। उनसे प्रति यात्री 780 रुपए वसूले गए। टिकट पर लिखे अनुसार उन्हें बस में एसी, एलसीडी व पेन्ट्री सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया था। लेकिन जयपुर से कुछ दूर निकलते ही एसी बन्द हो गया और एलसीडी टीवी भी नहीं चलाया गया। सीट पुश करने पर पीछे न हुई। जब परिचालक से पूछा तो बताया गया कि सीट खराब है। उन्होंने सफर के बाद रोडवेज से क्लेम मांगा तो उन्हें मना कर दिया गया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने इसे रोडवेज की सेवा में कमी माना। मंच ने रोडवेज को आदेशित किया कि वह उपभोक्ता को 18 हजार रुपए का हर्जाना दे। आदेश के खिलाफ रोडवेज ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दर्ज कराई और बचाव में कहा कि बस कार्यशाला से चैक कर भेजी गई थी व उसमें कोई खराबी नहीं थी। लेकिन रोडवेज प्रशासन कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इस पर राज्य आयोग ने उपभोक्ता जिला मंच के आदेश को बरकरार रखते हुए परिवादी को 15 हजाार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति व तीन हजार रुपए परिवाद खर्च के अदा करने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 05.10.13)*

खराब समोसा बेचना भारी पड़ा

पांच रुपए का समोसा ताजा कहकर बेचना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। भोपाल स्थित सतना जिले के निवासी दिलीप त्रिपाठी ने उपभोक्ता जिला मंच में दुकानदार मंगतराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने मंच को बताया कि दुकानदार ने उन्हें समोसा ताजा कह कर बेचा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने समोसा खाया तो लगा कि समोसे के अन्दर भरा मसाला खराब हो चुका था। उन्होंने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो काफी विवाद के बाद उसने मामला टाल दिया और उन्हें पैसे वापस नहीं लौटाए। सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने दुकानदार को धोखाधड़ी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही पांच सौ रुपए मुकदमे का खर्च भी भुगतान करने का फैसला दिया।

उपभोक्ता मंच के इस फैसले के खिलाफ दुकानदार मंगतराम ने राज्य आयोग में अपील की। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने उपभोक्ता मंच के इस फैसले को बरकरार रखा और दुकानदार मंगतराम को आदेश दिए कि वह उपभोक्ता दिलीप त्रिपाठी को एक हजार रुपया बतौर हर्जाना व पांच सौ रुपए मुकदमा खर्च के अदा करें। *(दै.भा., 19.11.13)*

खास समाचार

पीड़ितों को समय पर न्याय मिले: भडाना

उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा गया है लेकिन वह ही बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहा है। उपभोक्ताओं की जाग्रति और उन्हें समय पर न्याय दिलवाना सरकार की प्राथमिकता है।

यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना ने इंदिरा गांधी पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य के 1000 उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय करने के लिए 10 हजार रुपए प्रति क्लब को दिलवाने के प्रयास करेंगे। विद्यालयों की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 500 क्लब स्थापित किए जाएंगे। नियमित कॉलेजों के अलावा बीएड कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि से संबंधित संस्थानों को भी जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। जिलों में उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोले जाएंगे। इनमें उपभोक्ता संरक्षण विषयक पुस्तकालय बनाने पर भी विचार चल रहा है।

इन केन्द्रों में पुस्तकालय अध्यक्ष, उपभोक्ता मित्र, विधिक सलाहकार सहित एक प्रबंधक व सहायक कर्मी होंगे। परिवाद दायर करने से पूर्व विधिक परामर्श मुफ्त दिया जाएगा। समस्त उपभोक्ता विषयक गतिविधियां इन्हीं केन्द्रों के माध्यम से संचालित होगी। इसी तरह सभी जिलों में जिलास्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की भी स्थापना की जाएगी। इससे उपभोक्ता आन्दोलन को गति मिल सकेगी। *(दै.भा.एवं रा.प., 25.12.13)*

झुंझुनू जिले के चन्द्र मौलि पचरंगिया ग्राम गदर पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' इंटरनेशनल की ओर से जी.जी.मेमन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा झुंझुनू जिले के चिड़ावा निवासी पत्रकार चन्द्र मौलि पचरंगिया को प्रशस्ति-पत्र व 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर 'ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2012 के लिए 'महिलाओं के प्रति हिंसा व उनकी सुरक्षा' विषय पर प्राप्त प्रविष्ठियों में से श्रेष्ठ चयन के लिए ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा की अगुवाई में निर्णायक मंडल का गठन किया गया था। निर्णायक मंडल ने आम सहमति से चन्द्र मौलि पचरंगिया को इस पुरस्कार के लिए चुना था।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन पत्रकारों को दिए जाते हैं, जिन्होंने जनहित के मामलों को पत्रकारिता के माध्यम से असरदार तरीके से उठाया है। इस बार यह पुरस्कार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर 'कट्स' द्वारा होटल जयपुर पैलेस में आयोजित प्रो-ओर्गेनिक परियोजना के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जा रहा है।

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, बी.एल.: बिजनेस लाइन

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।